फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

ार्थी / वादी
ंवरीदेवी
ह्रस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

यनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
जीवणी वगैरह
मुकदमा नं. 148 / 2022

ारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण हाजा दिनांक 05.07.2022 से लम्बित है तथा प्रकरण में की तलबी हेतु कई अवसर दिये गये। गत तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025, 09.10.2025 को हिदायत के साथ अवसर दिया गया आगामी पेशी पर रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं होने पर प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जावेगा। परन्तु वकील प्रार्थी ने साविका आदेश की पालना में रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं किये। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील प्रार्थी को तामील हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर तथा हिदायत के साथ अन्तिम अवसर गत तारीख पेशी पर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	